

तबादला नामा

स्टाम्प

रूपये

स्टाम्प क्रमांक दिनांक

स्टाम्प की संख्या

क्लैक्टर रेट सूचि अनुसार कीमत

यह तबादला नामा आज दिनांक

.....

..... निवासी ---तहसील

----- जिला ----- जिसको प्रथम पक्ष कार कहा गया है तथा

.....

.....

..... निवासी -----तहसील ----- जिला ----- जिसको द्वितीय पक्षकार

कहा गया है ।

यह है कि प्रथम पक्षकार जो कि कृषि भूमि खेवट नम्बर----- खतौनी नम्बर----- मुसत्तील नम्बर----- किला नम्बर----- रकबा कुल भूमि----- कनाल----- मरले का----- भाग रकबा कनाल----- मरले का----- वाका ----- तहसील ----- जिला----- इन्तकाल नं०----- व जमाबन्दी वर्ष -----अनुसार मालिक व काबिज है । जिस पर किसी प्रकार का कोई भार नहीं है । उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कर्जा, किसी बैंक या सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से प्राप्त नहीं किया हुआ है । भूमि उक्त किसी नीलामी व कुर्की आदि मे शामिल नहीं है । भूमि उक्त को आज से पहले किसी प्रकार से रहन-बैय-हिब्बा व अन्य तरीके पर हस्तान्तरित नहीं किया गया है । भूमि को तबादला करने की बावत किसी प्रकार की कोई रुकावट किसी विभाग या किसी न्यायालय की नहीं

है । भूमि को हर प्रकार से रहन, बैय-हिब्बा व अन्य तरीके पर बैय करने का/तबादला करने का अधिकारी है ।

यह है कि द्वितीय पक्षकार जो कि कृषि भूमि खेवट नम्बर-----
खतौनी नम्बर----- मुसत्तील नम्बर----- किला नम्बर----- रकबा कुल भूमि-----
कनाल----- मरले का----- भाग रकबा कनाल----- मरले
का----- वाका ----- तहसील ----- जिला----- इन्तकाल
नं०----- व जमाबन्दी वर्ष -----अनुसार मालिक व काबिज है । जिस पर
किसी प्रकार का कोई भार नहीं है । उपरोक्त भूमि पर किसी प्रकार का कोई कर्जा, किसी
बैंक या सरकारी अथवा गैर सरकारी संस्था से प्राप्त नहीं किया हुआ है । भूमि उक्त किसी
नीलामी व कुर्की आदि में शामिल नहीं है । भूमि उक्त को आज से पहले किसी प्रकार से
रहन-बैय-हिब्बा व अन्य तरीके पर हस्तान्तरित नहीं किया गया है । भूमि को तबादला
करने की बावत किसी प्रकार की कोई रूकावट किसी विभाग या किसी न्यायालय की नहीं
है । भूमि को हर प्रकार से रहन, बैय-हिब्बा व अन्य तरीके पर बैय करने का/तबादला
करने का अधिकारी है ।

यह है कि अब दोनो पक्ष इस बात पर सहमत हो गए हैं कि प्रथम पक्ष
अपनी उपरोक्त कृषि भूमि का तबादला जो अनुसूचि -I में दर्शाया गया है द्वितीय पक्ष
द्वारा अनुसूचित-II में दर्शाई गई भूमि के साथ करेगे ।

यह है कि प्रथम सूचि में दर्शाई गई भूमि/अचल सम्पति की कीमत क्लैक्टर
रेट अनुसाररूपये निर्धारित की गई है । यह है कि द्वितीय सूचि में दर्शाई गई
भूमि/अचल सम्पति की कीमत क्लैक्टर रेट अनुसाररूपये निर्धारित की गई है
। यह है कि दोनो पक्षों ने अब यह तबादला नामा निष्पादित करने पर सहमत हो गए हैं ।

अब अपने आत्म ज्ञान तथा प्रसन्न चित से बिना किसी दबाव व बहकावे के
उपरोक्त कृषि भूमि पर तमाम हक जो नीचे अनुसूचि- I व II में हिस्सा दिखाया गया है ।
दोनो पक्षों ने एक दूसरे को वर्णित सम्पति पर कब्जा व दखल दोनो पक्षों द्वारा मोक़े पर
तबादला करके उसको पूर्ण रूप से मालिक व काबिज बन गए हैं यानि की प्रथम पक्ष नीचे
अनुसूचि -II में दर्शाई गई भूमि का मालिक होगा तथा द्वितीय पक्ष अनुसूचि-I में दर्शाई

गई भूमि का मालिक होगा । प्रथम पक्ष का अब अनुसूचि-1 मे दर्शाई गई भूमि से कोई ताल्लुक व वास्ता किसी प्रकार का ना रहा है । इसी प्रकार द्वितीय पक्ष का अनुसूचि-11 मे दर्शाई गई भूमि से कोई वास्ता ना रहा । तबादला की गई भूमि बारे यदि कोई हकदार किसी प्रकार का झगड़ा करेगा या सम्पति किसी नुक्स कानूनी या वाक्याती की वजह से मलकियत एक दूसरे से निकल जावेगी तो उस सुरत मे उसकी पैरवी, जबाव देही, हरजा, खर्चा व वापसी कुल कीमत सब जिम्मेदारी एक दूसरे की होगी । यह है कि दोनो पक्ष तबादला की गई भूमि के मालिक बन गये है तथा दोनो पक्षों ने एक दूसरे की भूमि का कब्जा भी मौके पर हस्तान्त्रित/तबदील कर लिया है । दोनो पक्षों के वारिस भी उपरोक्त तबादले की शर्तों का पालन करने के पाबन्द रहेगे । कुल खर्चा स्टाम्प तथा फीस दोनो पक्षों ने आधा-आधा अपने पास से लगाया है । दोनो पक्ष अनुसूचि-1 व 11 मे दर्शाई गई भूमि का इन्तकाल एक दूसरे के पक्ष मे करा लेगे । दोनो पक्षों को कोई आपत्ति नही होगी ।

अतः यह तबादला नामा लिख दिया है तथा अपने हस्ताक्षर कर दिये है ताकि बतौर साक्षी प्रमाण रहे और समय पर काम आये । दिनांक-----

अनुसूचि- 1

(अचल सम्पति जो प्रथम पक्ष से सम्बन्धित है का तबादला द्वितीय पक्ष से कर लिया)

खेवट/खतौनी/खसरा न0 ----- तादादी----- कनाल----- मरला/विघा-----
 बिस्वा का----- हिस्सा क्षेत्रफल ----- कनाल-----मरला/बिघा----- बिस्वा----- वर्ग
 गज----- वर्गमीटर स्थित गांव/शहर----- हदबस्त न0-----
 तहसील-----जिला----- जमाबन्दी वर्ष -----

अनुसूचि- 11

(अचल सम्पत्ति जो द्वितीय पक्ष से सम्बन्धित है का तबादला प्रथम पक्ष से कर लिया)

खेवट/खतौनी/खसरा न० ----- तादादी----- कनाल----- मरला/विघा-----
बिस्वा का----- हिस्सा क्षेत्रफल ----- कनाल-----मरला/बिघा----- बिस्वा----- वर्ग
गज----- वर्गमीटर स्थित गांव/शहर----- हदबस्त न०-----
तहसील-----जिला----- जमाबन्दी वर्ष -----

गवाह:

प्रथम पक्ष

1.

2.

द्वितीय पक्ष